पुन: प्रवर्तन

अनिल मलिक

महिलाओं का सशक्तीकरण और बच्चों का पोषण

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में स्वच्छता शिक्षा से कम उम्र से ही स्वस्थ आदतों का विकास होता है। निकटवर्ती जल स्रोतों की उपलब्धता शिक्षा, कौशल विकास, और आय सृजन के लिए समय बचाती है।

स्वच्छ जल, पर्याप्त स्वच्छता, और बेहतर स्वच्छता प्रथाएँ, जिन्हें सामूहिक रूप से वॉश (पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य) कहा जाता है, मौलिक मानव अधिकार हैं। यह लैंगिक समानता प्राप्त करने और दुनिया भर में बाल विकास को बढ़ावा देने का एक आधारभूत तत्व है।

दुनिया के कई हिस्सों में, भारत सहित, स्वच्छता प्रबंधन का बोझ असमान रूप से महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। यह अवैतनिक श्रम अक्सर प्रतिदिन कई घंटे ले लेता है, जिससे उनकी स्कूल जाने, आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने, या समुदाय के साथ जुड़ने की क्षमता सीमित हो जाती है। सुरक्षित और सुलभ स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में महिलाएं और लड़कियां स्वास्थ्य और सुरक्षा के गंभीर जोखिमों का सामना करती हैं, जिनमें खराब स्थान पर स्थित शौचालयों तक पहुंचते समय हिंसा और उत्पीड़न शामिल हैं।

भारत में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक भिन्नताएं और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं प्रगति में अक्सर बाधक होती हैं, वहाँ वॉश से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने के प्रयासों को हाल के वर्षों में जल जीवन मिशन (जेजेएम), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जैसे पहलों के माध्यम से नवीनीकृत गति मिली है, जिन्होंने हर संभव हितधारक को बेहतर वॉश प्रथाओं को अपनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि समाज के व्यापक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) ने इस अंतर्संबंध को स्वीकार किया है और महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों को पोषित करने के लिए अपने मिशन/योजनाओं में वॉश को शामिल करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। एमओडब्ल्यूसीडी की पहलें न केवल बीमारियों को रोकने में वॉश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं, बल्कि कुपोषण और लैंगिक असमानता के चक्र को तोड़ने में भी इसके प्रभाव को उजागर करती हैं। यह लेख वॉश, लैंगिक समानता, और बाल कल्याण के बीच गहरे संबंध की पड़ताल करता है, साथ ही एमओडब्ल्यूसीडी के तहत प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रभाव को भी उजागर करता है।

लैंगिक समानता

महिलाएं और लड़कियां असमान वॉश सेवाओं के बोझ को रूप से झेलती हैं। वे अक्सर पानी इकट्ठा करने में घंटों बिताती हैं, मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं, और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण सुरक्षा जोखिमों के संपर्क में आती हैं। वॉश द्वारा संबोधित कुछ प्रमुख लैंगिक चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम):** सुरक्षित और निजी सुविधाओं की कमी लड़कियों की स्कूल उपस्थिति और गरिमा को प्रभावित करती है।
- **सुरक्षा और गरिमा:** शौचालयों तक पहुंच उत्पीड़न के जोखिम को कम करती है।
- **समय का बोझ:** पास के पानी के स्रोतों की उपलब्धता शिक्षा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए समय मुक्त करती है।
- **सशक्तीकरण:** समुदाय के वॉश समितियों में महिलाओं की भागीदारी निर्णय लेने की भूमिकाओं को मजबूत करती है।

बाल कल्याण

सुरक्षित पानी और स्वच्छता बाल संरक्षण, वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। खराब वॉश दस्त, कुपोषण और स्कूल अनुपस्थिति में योगदान देता है। वॉश से मिलने वाले कुछ प्रमुख बाल लाभ हैं:

- **बेहतर स्वास्थ्य:** दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों में कमी।

लेखक भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल: secy.wcd@gov.in

- **बेहतर पोषण:** स्वच्छ वातावरण संक्रमण को कम करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।
- **नियमित उपस्थिति:** कार्यात्मक शौचालय, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, नामांकन और स्थायित्व बढ़ाते हैं।
- **प्रारंभिक बाल विकास:** आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में स्वच्छता शिक्षा छोटे बच्चों में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देती है।

वॉश को एकीकृत करने के लिए पहल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लिंग समानता और बाल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों में वॉश घटकों को शामिल किया है।

1. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दो प्रमुख पहलों में से हैं। इसने पोषण अभियान, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और किशोरी योजना (एसएजी) (पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी ज़िलों में 14-18 वर्ष की आयु वर्ग) को सम्मिलित किया है और यह न केवल लक्षित लाभार्थियों के लिए बल्कि उससे आगे जाकर वॉश को बढ़ावा देने में सहायक है।

यह मिशन 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें 10,16,32,373 लाभार्थी शामिल हैं, जिनमें 63,68,888 गर्भवती महिलाएं, 49,23,913 स्तनपान कराने वाली माताएं, 44,77,899 बच्चे (0-6 महीने), 3,85,66,936 बच्चे (6 महीने से 3 वर्ष), 4,50,06,648 बच्चे (3-6 वर्ष) और 22,88,089 किशोरियां (14-18 वर्ष)* शामिल हैं।

यह कार्यक्रम सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है, जिसमें हॉट कुक्ड मील (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय में) शामिल हैं। ये केंद्र बच्चों और उनके परिवारों के बीच स्वच्छता जागरुकता बढ़ाने के लिए भी मंच का कार्य करते हैं। मिशन पोषण 2.0 निम्नलिखित तरीकों से सभी के लिए बेहतर वॉश प्रथाओं में निरंतर योगदान देता है:

- समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) और घर-घर जाकर निरीक्षण में स्वच्छता शिक्षा और प्रदर्शन शामिल है। 2018 से अब तक आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर 7 करोड़ से अधिक सीबीई आयोजित किए गए हैं, जिन्होंने प्रतिभागियों को बेहतर वॉश प्रथाएं अपनाने के लिए जागरूक किया है। इसी तरह, लगभग 2 करोड़ घरेलू निरीक्षण मासिक आधार पर बच्चों (0-2 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए किए जाते हैं, जिनमें वॉश के साथ-साथ अन्य आवश्यक विषयों पर भी जागरुकता फैलाई जाती है।
- बच्चे असमय वॉश की असमर्थित स्थितियों के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। प्रारंभिक बचपन के वातावरण में स्वच्छता की कमी न केवल स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करती है, बल्कि स्कूल की तैयारी और प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। इसलिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) ने आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में शौचालय निर्माण और पाइप के पानी की आपूर्ति के लिए

धन आवंटित किया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एडब्ल्यूसी में शौचालयों का निर्माण करें और पाइप के पानी के कनेक्शन प्राप्त करें। वर्तमान में, 10.27 लाख एडब्ल्यूसी में कार्यशील शौचालय हैं और 12.53 लाख में पेयजल स्रोत/सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- इसके अलावा, क्योंकि स्थायी वॉश क्रियान्वयन के लिए केवल अवसंरचना से अधिक आवश्यक है, जैसे कि सामुदायिक भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन और अंतर-विभागीय सहयोग, मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर जन आंदोलनों के माध्यम से सहयोग कर रहा है, जो हर साल मनाए जाते हैं, जैसे कि सितंबर में पोषण माह और मार्च-अप्रैल में पोषण पखवाड़ा। 2018 से अब तक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वॉश पर 3.8 करोड़ से अधिक संवेदनशीलता गतिविधियाँ रिपोर्ट की गई हैं।
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत, उन्नत और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, पंद्रहवीं वित्त आयोग चक्र के दौरान 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को 'सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों' में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को दूसरे पीढ़ी के आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में कल्पना किया गया है, जिनमें बेहतर अवसंरचना होती है, जैसे एलईडी स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली, ईसीसीई सामग्री और पोषण वाटिका। सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड होने के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास पेयजल सुविधा और कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य है।
- किशोर कन्याओं के लिए योजना (एसएजी) 14-18 वर्ष की उम्र के लगभग 23 लाख किशोर कन्याओं के पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी ज़िलों से हैं। यह योजना मासिक धर्म स्वच्छता जागरुकता को समर्थन देती है। योजना के तहत पीयर एजुकेटर्स को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे समुदाय में कन्याओं के बीच स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकें।

- एक और उल्लेखनीय उदाहरण है 'विशेष अभियान 3.0', जिसने आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता अभियानों पर ज़ोर दिया। इस अभियान ने स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व को उजागर किया और स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय के स्वयंसेवकों और अधिकारियों को जुटाया। समुदाय के सदस्यों और स्थानीय शासन संरचनाओं को शामिल करके, इन कार्यक्रमों ने वॉश प्रथाओं की स्वामित्व भावना और स्थिरता को बढ़ावा दिया।

आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पानी, उचित स्वच्छता और हाथ धोने के स्थान सुनिश्चित करके, मंत्रालय बच्चों के लिए एक सुरक्षित और पोषणयुक्त वातावरण बना रहा है। स्वच्छता प्रचार दैनिक गतिविधियों और इंटरैक्शन में बुना गया है, जो बच्चों को जीवन की शुरुआत में ही स्वस्थ आदतें अपनाने में मदद करता है। ये आदतें न केवल व्यक्तिगत बच्चों की सुरक्षा करती हैं बल्कि समुदायों में संक्रामक रोगों के फैलाव को भी कम करती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से वॉश के लाभ बढ़ते हैं।

2. मिशन शक्ति (जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शामिल है): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसे अभियान इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अभियान केवल लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें स्वच्छता और सफ़ाई के घटक भी शामिल हैं, जो यह संदेश देते हैं कि लड़कियों की भलाई राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। ये हस्तक्षेप सामूहिक रूप से उस लैंगिक असमानता के चक्र को तोड़ने का लक्ष्य रखते हैं, जो अक्सर खराब स्वच्छता या मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ने से शुरू होता है।

3. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई): जबकि यह मुख्य रूप से एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, यह गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल और स्वच्छता पर परामर्श को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, यह अप्रत्यक्ष रूप से माताओं और शिशुओं के लिए स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा दे रहा है।

4. मिशन वात्सल्य: इसके तहत 'स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)' नामक एक विशेष घटक है, जिसके तहत बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और सेवा वितरण संरचनाओं में वॉश से संबंधित गतिविधियाँ करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंड प्रदान किए जाते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एसएपी के अंतर्गत गतिविधियाँ करने के लिए एक 'वार्षिक कैलेंडर' तैयार करते हैं। इस प्रकार, लक्षित नीतियों और समुदाय-चालित कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय वॉश को लैंगिक समानता और बाल कल्याण के एक सशक्त साधन के रूप में उपयोग कर रहा है। निरंतर समर्थन, नवाचार, और प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे कि हर महिला और बच्चा, भले ही उनकी भौगोलिक स्थिति या पृष्ठभूमि कोई भी हो, वॉश द्वारा जीवन परिवर्तनकारी लाभों तक पहुंच प्राप्त कर सकें। ❑